

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 131/2023

निर्णय दिनांक :- 30/5/2024

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. भंवरलाल पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी रतनपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. शिवराज पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी रतनपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थीगण-

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

उपस्थिति :- श्री सांवरिया बैरागी

तहसीलदार देवली

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 20 खसरा नम्बर 130 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.28 है0 व खसरा नम्बर 96 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम रतनपुरा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य सीमा व कब्जे को लेकर गम्भीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत् उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिए उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करवायी गई तो मोकें पर गंभीर विवाद होगा, लडाईं झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप मुकदमें बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।



अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है व खसरा नम्बर 145 पर अन्य खातेदारों का कब्जा है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारों से सीमा विवाद होना बताया है जिसके खसरा नम्बर 146 है। जिस खातेदारों से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी भूमि के सम्बंध में किसी भी पक्षकार नामान्तकरण अवशेष नहीं है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 145 रकबा 0.28 को छोड़कर शेष खसरा नम्बरों जमाबंदी सम्वत् 2072-75 में अंकित खाता संख्या 20 खसरा नम्बर 130 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.28 है0 व खसरा नम्बर 96 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम रतनपुरा जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर, प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली